अपील सूचना अधिकार संख्या 113/2020 (RCMS 2020/00191) श्री महन्त धर्मनाथ चेला शुभनाथ निवासी 2 एम एल, नाथांवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 96415–79636) बनाम तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.10.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी महन्त धर्मनाथ स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने आवेदन पत्र दिनांक 24.02.2020 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी एव तहसीलदार, श्रीगंगानगर ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसे वांछित सूचना दिलवाने और लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न कराने पर विभागीय कार्यवाही की जाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी महन्त धर्मनाथ ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.02.2020 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

आपके पत्रांक 916 दिनांक 06.12.07 से सम्बन्धित समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रति।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 293 दिनांक 03.09.2020 के साथ अपीलार्थी को दिये गये जवाब की प्रति संलग्न कर प्रेषित की है। **तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर** ने अपने पत्रांक 295 दिनांक 24.09.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री महन्त धर्मनार्थ चेला शुभनाथ सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र दिनांक 24.02.2020 द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक 916 दिनांक 06.12.2007 से सम्बन्धित समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रति चाही गई थी। जो इस कार्यालय के क्रमांक कोषक/2020/293 दिनांक 03.09.2020 को अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गयी। जिसकी प्राप्ति रसीद पत्र संलग्न कर श्रीमानजी के सेवा में सादर प्रस्तुत है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

-sd-
तहसीलदार (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उक्त के अतिरिक्त तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 295 दिनांक 24.09.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि आपके प्रासांगिक पत्र द्वारा चाही गई इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 916 दिनांक 06.12.2007 से सम्बन्धित समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रति आपको संलग्न पत्र भिजवाई जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार (32 पेज)

-sd-
तहसीलदार (राजस्व)
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा आवेदक को उपलब्ध करवाई जा चुका है, परिणामस्वरूप तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी धर्मनाथ का हस्ताक्षरयुक्त सूचना प्राप्त करने का पत्र भी भिजवाया हैं जिससे ज्ञात होता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्राप्त कर ली गई है। इसलिए इस अपील में आगे किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर